परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

(भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. Of. India)

प.ऊ.शि.सं./लेखा/वेतन/आयकर/2023-24/ 28 अगस्त, 2023

AEES/ACCTS/SALARY/I.Tax/2023-24/ 28 August, 2023

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्रोत पर आयकर की गणना और वसूली के लिए विचार की जाने वाली बचत के विवरण के साथ विकल्प फॉर्म जमा करने के संदर्भ में।

Subject : Submission of Option form with details of savings to be considered for Computation & recovery of Income Tax at source for the financial year 2023-24.

सभी प.ऊ.कें.वि., कनिष्ठ महाविद्यालय और केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई के सभी कर्मचारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, 2023 के परिपत्र संख्या 4 वर्ष 2023: एफ. सं.: 370142/06/2023-टी.पी.एल. दिनांक 05.04.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई कर प्रणाली के अंतर्गत आवृत है | यदि कोई कर्मचारी पुरानी कर प्रणाली को चुनना चाहता है तो उन्हें एक विकल्प का चयन करना होगा। यदि विकल्प फार्म दिनांक **10 सितम्बर 2023** तक जमा नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने आधिदेशात्मक नई कर प्रणाली का चयन किया है।

All employees of AEC School & JC and Central Office, AEES, Mumbai are now covered under the New Tax Regime for the Financial Year 2023-24 in terms of the Central Board of Direct Taxes, Circular No 4 of 2023: F.No: 370142/06/2023-TPL dated 05/04/2023. An option has to be exercised by an employee if she/he wishes to opt for Old Tax Regime. If the option form is not submitted on or before **10th September 2023**, it will be deemed that the employee has opted for New Tax Regime.

वर्तमान में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुमानित आय के आधार पर कर्मचारियों से अस्थायी रूप से आयकर की कटौती की जा रही है। कर्मचारी जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था में रहने का चयन किया है उन्हें संलग्न प्रारूप में केवल अपनी बचतों/प्रस्तावित बचतों का विवरण भरकर संबंधित प.ऊ.कें. विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रमुखों के माध्यम से **10 सितम्बर, 2023** तक वेतन, कार्यालय के पास जमा करना अपेक्षित है। संशोधित किश्त के साथ आयकर की वसूली सितम्बर, 2023 के मासिक वेतन से प्रभावी होगी। अन्य सभी कर्मचारी जो नई कर व्यवस्था में हैं, धारा 24 के तहत कटौती का दावा, यदि आवश्यक हो, करने के लिए विस्तृत 12-सी फॉर्म जमा कर सकते हैं ।

At present TDS from monthly salary of employees is being provisionally recovered based on the estimated income of the current financial year 2023-24. The employees who have opted for Old Regime only are required to furnish the details of their savings / proposed savings in the enclosed format and submit the same to Salary, section by 10th September, 2023 through respective heads of AEC Schools/JC. Recovery of Income Tax at revised installment will be effected from the monthly salary to be drawn from September 2023. All other employees who are in NEW TAX REGIME may submit the detailed 12-C form for claiming deduction under section 24, if required.

घोषणा और वास्तविक/प्रस्तावित बचतों के दस्तावेजीय प्रमाण के लिए फोटो प्रतिलिपियाँ तुरंत संबंधित विद्यालयों, कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों एवं केंद्रीय कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी (वेतन) को प्रस्तुत करें। कर्मचारी जो धारा 24 अर्थात मकान संपत्ति से आय के तहत छूट का दावा कर रहे हैं, वे अपेक्षित संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र 12-सी में अपनी घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य या अपेक्षित प्रमाणपत्रों के समर्थन के बिना घोषणा को अमान्य माना जाएगा और अस्वीकार करने योग्य होगा।

Declaration & photocopies showing the documentary proof of actual/proposed savings shall be furnished with prescribed forms to the Principals of respective Schools, Junior College & AAO (Salary) of Central Office. The employees who are claiming deduction under section 24, i.e., Income from House property may submit their declaration with required supporting documents in prescribed Form 12-C. Declaration without supporting documentary evidence or requisite certificates will be considered as invalid and is liable to be rejected.

यदि निर्धारित समयावधि के अंदर अपेक्षित प्रतिलिपियों/मूल दस्तावेजों के साथ कर्मचारियों से बचत घोषणा के साथ पुरानी कर प्रणाली को चुनने का विकल्प फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो आयकर की गणना संबंधित वेतन अनुभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाएगी और आयकर की वसूली अधिदेशात्मक कर व्यवस्था अर्थात नई कर प्रणाली के अनुसार ही की जाएगी।

If the option form for opting Old Tax Regime along with savings declaration is not received from employees with required photocopies/original documents within stipulated time limit, the Income Tax will be calculated on the basis of available information with salary section & recovery of Income Tax will be effected as per default regime i.e., new regime only.

Contd. page .2

आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के अनुसार चालू वितीय वर्ष (सभी कर्मचारीयों को दिए गए बकाया राशि विवरण के अनुसार) में पूर्व वर्षों के लिए प्राप्त बकाया राशि (सभी वेतन,प्रिस अदि) पर राहत का दावा वेबसाइट "incometax.gov.in" पर दिए फॉर्म 10E के लिंक पर ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से व्यक्तिगत आयकर विवरणी भरते समय करना होगा।

In terms of section-89(1) of Income Tax Act, relief on the arrears (all Pay, PRIS etc.) received for the previous years during the current financial year (as per the arrears statement provided to all the employees) shall be claimed while filing individual Income Tax returns through online procedure on the given link of Form 10E on the website "incometax.gov.in"

सभी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/क.महाविद्यालय प्रमुखों और प.ऊ.शि. सं. केंद्रीय कार्यालय के अनुभाग प्रमुखों से निवेदन है कि इस परिपत्र के अनुपालन हेतु अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को सूचित करें और जो कर्मचारी पुरानी कर प्रणाली का चयन करना चाहते हैं, उनको आयकर निर्धारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपियों के साथ समय से विकल्प फॉर्म और बचत घोषणा पत्र जमा करने हेतु सूचित करें तथा उसी अनुसार मासिक वेतन से आयकर वसूली करें। साथ ही संबंधित कार्यालय लिपिक को भी निर्देशित करें कि वेतन अनुभाग को अग्रेषित करने से पूर्व वे संबंधित कर्मचारी द्वारा जमा घोषणा पत्र और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करें और सभी प्रकार से पूर्ण दस्तावेज वेतन विभाग को अग्रेषित करें। यदि अपूर्ण/गलत डेटा पाया जाता है, तो बचत घोषणा के साथ विकल्प फॉर्म वापस कर दिया जाएगा। यदि नियत तिथि तक अपेक्षित दस्तावेजों सहित कोई घोषणा पत्र प्राप्त नहीं है तो मौजूदा दरों से आयकर कटौती की जायेगी और उसमे कोई संशोधन नहीं होगा। इस स्थिति में कर्मचारी को स्वयं आयकर रिटर्न दाखिल करके आयकर कटौती की वापसी, का दावा किया जा सकता है।

Heads of AEC Schools/JC at Mumbai and Section Heads of Central Office are requested that the contents of this circular may be brought to the notice of all employees working under their control for compliance and inform the employees who wish to opt for Old Tax Regime to submit their option and savings declaration in time along with supporting required photocopies of documents for assessing their Income Tax and accordingly effect the recovery through monthly salary. Concerned office clerk may be instructed to verify the declaration with supporting documents submitted by respective employee and ensure that, it is complete in all respect before forwarding to salary section. If incomplete/incorrect data is found, the option form along with savings declaration will be returned. If no declaration with required documents received on its due date, Income Tax will be recovered as per existing rates and no revision will take place. Refund of Income Tax if any shall be claimed by filing Individual Income Tax Return by concerned employee.

यह परिपत्र परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of competent authority in AEES.

संलग्न: उपरोक्तानुसार
Encl: as above

28/8/23

(ज्योति अ. पेंटे / JYOTI A PENTE)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी / Sr. Accounts Officer

सभी प.ऊ.कें. विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रमुख
सभी अनुभाग प्रमुख, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
Heads of All AEC Schools/JC
All Section Heads of AEES.

प्रतिलिपि सूचनार्थ-
Copy for information to:

1) अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.
   Chairman, AEES
2) सचिव, प.ऊ.शि.सं.
   Secretary, AEES